

र व ता
नाप
की
जा

पालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

प्राथीन अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

मा संख्या :- 176/2024 30 फर

गोपी पुत्र देवा रेगर सि - 2612/2154, 2723/1

प्राथी

बनाम
प्राथीन पं. उपायुक्त सुकर सि - 2612/2154, 2723/1

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 14/02/24

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम ~~पटवार~~ पटवार हल्का ~~पटवार~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्तों की खाता संख्या 144 आराजी नम्बर 2612/2154, 2723/1,

कुलकिता 2 रकबा 0.8853 हैक्टयर भूमि त है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन का संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09/12/23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी जाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी के का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~पटवार~~ पटवार हल्का ~~पटवार~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 144 आराजी नम्बर 2612/2154, 2723/1,

कुलकिता 2 रकबा 0.8853 हैक्टयर भूमि चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ~~करेडा जिला~~ को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल ब्रडी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा